
## Red Z-mic (12055

## राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-227132



प्रमुक्

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष सचिव उतार प्रदेश।

सेवा में

क्लसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय. जीनपुर।

महोदय.

आपके पत्रांकः ६३६३ / सम्बद्धता /२००५ दिनांक ३०-०६-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की घारा-३७ (२) के अधीन धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय्करमाजीतपुर सुन्दरपुर, वाराणसी को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाव्यकम में १०० सीट की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शतों के अधीन दिनांक ०५-०७-२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ब्दारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद व्दारा निर्धारित समस्त शतों का अनुपालन करेगी।

संस्था उच्च शिक्षा विभाग व्यास जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनाक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का

वदि संस्था व्दारा विश्वविद्यालय की परिनिथमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदाय,

( हरी चरन प्रकाश ) कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६-ए, तिलकनगर, शान्तिपथ, जयपुर।

प्रबन्धक / प्राचार्य, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय,करमाजीतपुर खुन्दरपुर, वाराणसी।

( हरी चरन प्रकाश ) कुलाधिपति के विशेष सन्धिव

संख्या-1279 / सत्तर-6-2008-2(248) / 2006

प्रेषक.

आस्ककें)मिश्र, अनु सचिव, उतार प्रवेश शासन।

संवा में

कुलसचिव, यार बहादुर सिष्ठ पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

नध्य रिक्षा अनुमाग–७

लखनकः दिनांकः (१) अगस्त, 2008

निषय-महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति। महादय

तपर्युक्त विषयक आधके पत्रांक-पू०िकिकि / सम्बद्धता / 05-24 (चाए-1) / 2008 / 597. दिनाक 08.04 2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उठप्रकराज्य विश्वविद्यालय संशोदन अधिनियम, 1907) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल चीरेन्द्र महिला महाविद्यालय कर्माजीतपुर मृत्वरपुर धाराणसी को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत श्रीकएड० पाठ्यकम में 100 विश्वित सीटों की प्रवेश हामता सहित स्विवत्त्वपोषित योजनान्तर्गत निम्मिलिखित शर्तों के अधीन विनाक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहवं स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1 संस्था शासनादेश संख्या-2861 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनाक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्मत शासनादेशों का पालन करेगी।

सस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानको को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करंगी एव परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करंगी।

3 यदि सस्था द्रारा विश्वविद्यालय की परिनियमादली /अधिनियम में वर्णित तथा शासन एव विश्वविद्यालय द्रारा निर्धारित शर्ती एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रवेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रवान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

विश्वविद्यालय सम्बद्धता की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिध्यित करेगा कि निर्धारित योग्यता एव अर्हता के अध्यापक / विमागाध्यक्ष विश्वविद्यालय से अनुमोदित एव कार्यरत है तथा अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित नहीं हैं।

र क्षेत्रीय समिति य अध्यापक शिक्षा परिषद

का एक विधिक संस्थान )



## Northern Regional Committee National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

पत्रांक F. No./NRC/NC/E UP-2179 & UP-1264/2018

19/ 592

Date:

## SHOW CAUSE NOTICE U/S 17 OF NCTE ACT, 1993

126 MAR 2018

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education notified the Regulations, 2014 on 01.12.2014.

- AND WHEREAS, recognition was granted by NRC Dhirendra Mahila Mahavidyalaya, Kaarmajeetpur, Sunderpur, Varanasi, U.P. for B.Ed course vide order no. NRC/NCTE/F-7/UP-2179/2008/56106-56112 dt. 12.08.2008 with an annual intake of (Existing 100+Additional+100=200) students.
- AND WHEREAS, the institution, by affidavit consented to come under New Regulations, 2014.
- AND WHEREAS, Revised Recognition Order dated 06.06.2015 was issued to the institution for conducting B.Ed programme of two years duration for four units from the academic session 2015-2016 subject to fulfillment of the following conditions:-
- The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up-area, (b) additional (3) infrastructure, (c) additional funds as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by May 30th, 2016.
- The Application-Institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land (ii) documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate (LUC) and the Building Plan (BP) in the specified proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before May 30th, 2015. Building completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting Team at the time of inspection.
- The institution should have already identified/selected the faculty/staff by 29th Feburary, 2016 for which the (iii) approval from the affiliating body for the same be submitted to this office immediately.
- The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check (iv) adherence to these condition after May 30th, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.
- In case any existing institution's matter is sub-judice under court direction/SCN under section 17 of the (v) NCTE Act/ Complaint etc., the institution shall be required to submit a copy of the Hon'ble Court order/reply to SCN/complaint/aiready submitted along with the documents, if any together the documents referred above. In case the institution's request for shifting of premises is pending, such institution shall be required to submit the requisite documents as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 with a copy of the order/NOC of the affiliating body/State Govt. and such other documents as indicated in the revised format recognition order.

कार्यालय : भौथी गंजित, जीवन निधी-॥, एत.आई.सी. बिल्डिग, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

Phone No. 0141-2744288, 2744635, Fax: 0141-2744173

Office: 4th Floor, Jeevan Nidhi-II, LIC Building, Ambedkar Circle, Bhawani Singh Marg, Jaipur -302 005 (Rajasthan)

कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश उत्तरावत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बन्धीगढ, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान Jurisdiction : U.P., Uttranchal, Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan E-mail.: nro@ncte-india.org,

Website: www.ncte-india.org

The final decision shall be subject to the directions given by the Hon'ble Court in the Writ Petition/case decided by the Northern Regional Committee in respect of Section 17/complaint cases etc.

- AND WHEREAS, the institution has not submitted documents/reply in compliance of the revised recognition order.
- 6. AND WHEREAS, the matter was placed before the Northern Regional Committee in its 281st meeting held from 20st to 21st February, 2018. The Committee decided to issue show cause notice to all such institutions which have not submitted compliance of the revised recognition order.

AND, NOW, THEREFORE, this show cause notice is issued to the institution with a direction to submit representation within 21 days from the date of issue of this SCN before withdrawal of recognition w's 17 of NCTE Act, 1993 for non-compliance of the above conditions. In case, the office does not receive any representation within stipulated time, it will be presumed that the institution does not wish to make any representation, and the Northern Regional Committee shall take decision as per provisions of the NCTE Act and Regulations.

By Order

(Satish Gupta) Regional Director (I/C)

To.

The Principal
Dhirendra Mahila Mahavidyalaya,
Kaarmajeetpur, Sunderpur,
Varanasi, U.P P